दुर्घटना सूचना रिपोर्ट क्या है?

- किसी भी वाहन से दुर्घटना होने की सूचना मिलने पर संबंधित थाना प्रभारी प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज किए जाने के 30 दिन के अंदर दुर्घटना सूचना रिपोर्ट मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में थाना प्रभारी द्वारा जमा की जाती है।
- इन दस्तावेजों में प्रथम सूचना रिपोर्ट की सत्यापित प्रतिलिपि, दुर्घटनास्थल के नक्शे की सत्यापित प्रतिलिपि व दुर्घटनास्थल के फोटो, संबंधित वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस पॉलिसी, पोस्टमार्टम (रिपोर्ट मृत्यु की स्थिति में) व घायल होने का प्रमाणपत्र शामिल हैं।
- इसी प्रकार घायल का नाम, पता या मृत्यु होने की स्थिति में मृतक के आश्रित परिवार के सदस्यों के नाम पते आदि सूचना रिपोर्ट में दी जाती है।
- इसके बाद दुर्घटना सूचना रिपोर्ट और उसके साथ संलग्न किए गए दस्तावेजों की प्रतियां संबंधित इंश्योरेंस कंपनी को भी पुलिस द्वारा दी जाती है ताकि संबंधित इंश्योरेंस कंपनी क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए आवश्यक कार्यवाही कर सकें।
- मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल दुर्घटना सूचना रिपोर्ट मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 166 के अनुसार क्लेम ट्रिब्यूनल के रूप में स्वीकार करता है।
- इसमें अलग से क्लेम पिटीशन दायर करने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि क्लेम पिटीशन दुर्घटना सूचना रिपोर्ट से पहले ही दायर कर दी गयी हो तो दुर्घटना सूचना रिपोर्ट उसके साथ संलग्न की जाती है।

कितना मुआवजा दिया जाता है?

मुआवजे की कोई निश्चित राशि तय नहीं की गई है। मुआवजा हर एक केस के तथ्यों पर निर्भर करता है। मुआवजे की राशि तय करने के लिए अदालतें बहुत सी बातों को ध्यान में रखते हैं।

- हानी, यानी कितना नुकसान हुआ।

क्षति या हानी शारीरिक या मानसिक हो सकती है। सभी श्रेणियों के नुकसान को ध्यान में रखते हुए अदालत मुआवजे की कुल राशि तय करती हैं।

शारीरिक या मानसिक क्षति पीड़ित व्यक्ति की वर्तमान एवं भविष्य में कमाने की क्षमता में कमी आदि कई बातों पर निर्भर करता है।

- दुर्घटना के कारण किसी व्यक्ति को किस प्रकार की चोट पहुंची है।

अगर किसी व्यक्ति के पैर की छोटी उंगली कट जाती है तो उसे उस व्यक्ति की तुलना में कम पैसा मिलेगा जिसका पूरा हाथ ही कट गया हो। हाथ कट जाने से काम करने की और कमाने की क्षमता बहुत कम हो जाती है जबकि पैर की उंगली कट जाने पर ऐसा नहीं होता है। इसमें कई कारक होते हैं, जैसे कि :–

- पीड़ित व्यक्ति की आयु ;
- पीड़ित व्यक्ति की आय ;
- पीड़ित या मरने वाले व्यक्ति के ऊपर कितने लोग निर्भर थे ;
- पीड़ित के इलाज के लिए चिकित्सा संबंधी खर्च ;
- सामान्य क्षतिपूर्ति ;
- पीड़ा एवं चोट लगने के कारण पीड़ित व्यक्ति एवं उसके रिश्तेदारों को जो मानसिक पीड़ा एवं दुख होता है उसके लिए उन्हें मुआवजा दिया जाता है जैसे कि – बच्चे की मृत्यु हो जाने पर एक माता की मानसिक पीड़ा एवं दुख।

- जीवन में आनंद की कमी जैसे कि चलने या दौड़ने में असमर्थ होना, शादी की संभावना कम होना आदि।

मुआवजा प्राप्ति का अधिकार

प्रत्येक दुर्घटना से जब किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचती है तो विधि के अनुसार उसे क्षति पहुंचाने वाले व्यक्ति से क्षति–पूर्ति प्राप्त करने का अधिकार होता है। इस प्रकार मोटर दुर्घटना संबंधी सभी मामलों में पीड़ित व्यक्ति या पीड़ित परिवार मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत क्षति–पूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी है।

मुआवजा पाने का अधिकारी कौन हैं?

जिसे भी किसी दूसरे के मोटर वाहन के प्रयोग से किसी भी प्रकार की हानि पहुंचे उसे मुआवजा मिलेगा। मृत्यु की दशा में मृतक के वारिसों को तथा चोट लगने पर घायल व्यक्ति मुआवजा पाने का अधिकारी है।

क्या चेहरा कुरूप हो जाने के कारण मुआवजा मिलेगा?

जी हाँ, चेहरे की कुरूपता के लिए चिकित्सा की आवश्यकता पड़ती है। कभी–कभी इसके कारण काम मिलना, शादी होना इत्यादि मुश्किल हो जाता है। इसलिए मुआवजा मिलेगा।

क्या मृत्यु के लिए मुआवजा दिया जाएगा?

जी हाँ, मोटर दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर दिवंगत के कानूनी वारिसों को जो क्षति एवं हानि हुई है उसके लिए उन्हें मुआवजा मिलेगा।

कानूनी वारिस कौन हैं?

जो लोग मृत्यु होने पर मुआवजे का दावा कर सकते हैं वह कानूनी वारिस कहलाते हैं। आमतौर पर यह लोग मृतक पर आश्रित होते हैं यानी वह मरने वाले पर निर्भर थे।

- एक पुरुष के कानूनी वारिस उसके माता–पिता, उसकी विधवा एवं बच्चे होंगे।
- एक स्त्री के कानूनी वारिस उसका पति व बच्चे होंगे।
- वे लोग जो मृतक पर आश्रित नहीं है वह उसके कानूनी वारिस नहीं माने जाते जैसे की ;
  - वालिग पुत्र जो कमा रहा हो ;
  - विवाहित पुत्रियां ।

मुआवजा कौन देगा?

मुआवजा भुगतान का उत्तरदायित्व

दुर्घटना में हुई क्षति के लिए मुआवजे के भुगतान का प्राथमिक दायित्व दुर्घटना करने वाले वाहन के स्वामी अथवा चालक का होता है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 146 के अंतर्गत बीमा पॉलिसी प्राप्त करना अनिवार्य है और यदि किसी वाहन स्वामी द्वारा पक्ष बीमा पॉलिसी प्राप्त किए बिना मोटर वाहन सर्वजनिक सड़क पर चलाया जाता है तो वह अधिनियम धारा 196 के अंतर्गत दंडनीय है। वाहन का बीमा होने की दशा में प्रतिकर के भुगतान का दायित्व बीमा पॉलिसी की शर्तों के अनुसार वाहन स्वामी के बजाय संबंधित बीमा कंपनी का हो जाता है।

यदि दुर्घटना करने वाले वाहन का विवरण मालूम न हो?

कुछ ऐसे मोटर वाहन भी होते हैं जिनके चालक दुर्घटना के पश्चात वाहन को तुरंत भगा ले जाते हैं और यह पता नहीं चल पाता है कि दुर्घटना किस वाहन से हुई और परिणामस्वरुप वाहन स्वामी और बीमा पॉलिसी के विषय में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती। ऐसी दुर्घटना के लिए भारत सरकार द्वारा पोषण निधि योजना 1989 बनाई है। इस योजना के अंतर्गत दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की मृत्यु होने की दशा में मृतक के आश्रितों को रुपए ₹50,000/- और गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को ₹25,000/- प्रतिकर के रूप में दिलाए जाने की व्यवस्था है इस योजना के अंतर्गत संबंधित पीड़ित व्यक्ति अथवा मृतक के आश्रितों द्वारा दुर्घटना के 6 माह के भीतर निर्धारित प्रारूप पर प्रार्थना पत्र अधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने आवश्यक है।

यदि दुर्घटना करने वाले वाहन का विवरण ज्ञात हो?

यदि दुर्घटना करने वाले वाहन का विवरण ज्ञात हो या हो सके तो ऐसी स्थिति में मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत गठित संबंधित मोटर दुर्घटना क्लेम ट्रिब्यूनल के समक्ष मोटर वाहन स्वामी वाहन चालक और संबंधित बीमा कंपनी के विरुद्ध प्रति–कर वाद खुद प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसा वाद केवल रु 10 की कोर्ट की टिकट लगा कर प्रस्तुत किया जा सकता है।